

अधिकारी आवास | जनरल कॉम्पालिन्ग अज बोर्ड

(32)

(13)

विविध-3850/2018/देवास/श.रा।

राजस्व आदेश—पत्र अनुवृत्ति—पत्र

प्रकरण क्रमांक 0021/अ-19(3)/2017-18

(1)	(2)	(3)
31-05-2018 <i>दाखिला</i> <i>क्रमांक</i> 25/6/18	<p>प्रकरण तहसीलदार देवास की ओर से अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) देवास के माध्यम से प्राप्त।</p> <p>तहसीलदार देवास के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। प्रतिवेदन में मुख्य रूप से यह तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि आदेशिका दिनांक 23.03.2018 में अनुक्रमांक 2 ग्राम खटाम्बा में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 97/1 व 97/2 टंकण त्रुटी से ठंकित हुआ है, जबकि वास्तविक सर्वे क्रमांक 197/1 व 197/2 हैं।</p> <p>अतः तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत तथ्य समाधानकारक एवं मान्य किये जाने योग्य होने से मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के तहत इस प्रकरण क्रमांक 0021/अ-19(3)/2017-18 में पारित आदेशिका दिनांक 23-03-2018 को पुनर्विलोकन में लिया जाकर आदेश में उल्लिखित अनुक्रमांक 2 ग्राम खटाम्बा में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 97/1 व 97/2 के स्थान पर वास्तविक सर्वे क्रमांक 197/1 व 197/2 संशोधन किये जाने के लिए पुनर्विलोकन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रकरण सादर प्रेषित हैं।</p> <p style="text-align: right;"><i>संस्कृत</i> कम्लेखटर, जिल्हा देवास (मप्र.)</p> <p>प्रति,</p> <p>अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, ग्वालियर, मध्यप्रदेश.</p> <p style="text-align: center;">(3)</p>	<p>M. No. 236/दीपा। 6 31/6/18</p>

प्रिवेट 3850/2018

24/7/18
उत्तराखण्ड

विषय: उत्तराखण्ड के लिए निम्नलिखित विवरों का अनुसर कानूनी उपचार की जानकारी देना।
निम्नलिखित विवरों के अनुसार उत्तराखण्ड के लिए विवरों का अनुसर कानूनी उपचार की जानकारी देना।
विवरों पर आधारित विवरों का अनुसर कानूनी उपचार की जानकारी देना।
उत्तराखण्ड के लिए अनुसुन्धान विभाग (मुख्यमंत्री विभाग)
उत्तराखण्ड के लिए अनुसुन्धान विभाग (मुख्यमंत्री विभाग)
उत्तराखण्ड के लिए अनुसुन्धान विभाग (मुख्यमंत्री विभाग)

160
24/7/18
प्रिवेट 3850/2018
प्रिवेट 3850/2018
दिनांक

③

मुख्यमंत्री
प्रिवेट 3850/2018